कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।

Email-samiticamp@gmail.com

17 न्यू बेरी रोड, डालीबाग, लखनऊ।

पत्रांक– 958 /सी/82/समिति/लखनऊ/दिनांक 01–02– 2018

समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/उप निबन्धक,
सहकारी गन्ना विकास समितियाँ,
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना आपूर्ति हेतु पर्ची निर्गमन स्वयं अथवा किसी उत्कृष्ट एजेंसी से कराये जाने विषयक।

जैसा कि आप अवगत हैं कि सहकारी गन्ना विकास समितियों का मुख्य कार्य सदस्य गन्ना कृषकों के उत्पादित गन्ने की आपूर्ति, चीनी मिलों को उनकी आवश्यकतानुरूप निर्बाध गति से कराया जाना है, किन्तु सहकारी गन्ना विकास समितियों के समक्ष कतिपय समस्याओं के कारण गन्ना आपूर्ति से सम्बन्धित पर्ची निर्गमन का अधिकांश कार्य समितियों की देख–रेख में चीनी मिलों द्वारा कराया जा रहा है।

पर्ची निर्गमन का अधिकांश कार्य चीनी मिलों के पास होने के कारण चीनी मिल एवं गन्ना समिति के मध्य समन्वय के अभाव का अनुचित लाभ उठाते हुए अराजक तत्वों द्वारा फर्जी सट्टे बनवाये जाने तथा इन फर्जी सट्टों पर निर्गत पर्चियों से गन्ने की अवैधानिक खरीद–फरोख्त की प्रबल सम्भावना बनी रहती है, जिससे वास्तविक गन्ना कृषकों की गन्ना आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के दृष्टिगत उनकी शिकायतें पेराई सत्र के दौरान बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में गन्ना आपूर्ति में पूर्ण पारदर्शिता के दृष्टिगत उपरोक्त शिकायतों पर अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से पर्ची निर्गमन का कार्य गन्ना समितियों के माध्यम से कराया जाना आवश्यक है।

अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि अपने परिक्षेत्र की सभी सहकारी गन्ना विकास समितियों की आवश्यक बैठक करते हुए आगामी पेराई सत्र 2018–19 से सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से पर्ची निर्गमन हेतु आवश्यक संसाधनों की समीक्षा कर लें। जिन गन्ना समितियों के पास पर्ची निर्गमन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, वे स्वयं एवं जिन गन्ना समितियों के पास पर्ची निर्गमन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वे आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से पर्ची निर्गमन का कार्य आगामी सत्र में नियमानुसार सम्पादित करायेंगी। उक्त कार्य के सफल सम्पादन हेतु वर्ष 2018 के गन्ना सर्वेक्षण के प्रारम्भ से ही सर्वेक्षण से सम्बन्धित समस्त डाटा/आंकड़े व आवश्यक अभिलेख गन्ना समिति अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगी, जिसके आधार पर पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार रहित पर्ची निर्गमन की व्यवस्था प्रारम्भ की जाय।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी/निबन्धक,
सहकारी गन्ना/चीनी मिल समितियां, उ.प्र.।

पत्रांक–   / सी / 82 / समिति / लखनऊ / दिनांक   ,2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त जिला गन्ना अधिकारी / सहायक निबन्धक (गन्ना समितियाँ), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सचिव, सहकारी गन्ना विकास समितियां, उत्तर प्रदेश।

(डा. वी.बी. सिंह)
संयुक्त गन्ना आयुक्त (समितियां)
उत्तर प्रदेश।